उत्तरांचल सरकार

कार्मिक अनुभाग - 2

संख्या - 1113/कार्मिक-2/2002

देहरादून : दिनांक 07 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प्रतीक्षा

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर राज्यपाल की नियम बनाने शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली अधिप्रभावी प्रभाव होगा।

परिभाषा

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(एक) किसी पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है।

(दो) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है।

(तीन) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण

4. (1) किसी व्यक्ति को–

(एक) जो सेवा में 30.6.1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो, और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या

यथास्थिति पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्त करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता–क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्त आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे, और वह उसको नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी।

नियुक्ति 5. नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

नियुक्ति का सेवा नियमों के अधीन की गयी समझा जाना 6. इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति संगत सेवा के आदेशों के यदि कोई हो, अधीन की गई समझी जायेगी।

ज्येष्ठता 7. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुरूप चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व सभी सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी, परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

सेवा समाप्ति 8. ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपयुक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम–4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

आलोक कुमार जैन
सचिव।

संख्याः 1113/(1)/कार्मिक–2/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियां उपलब्ध करायें।
महानिबन्धक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा० मंत्रिगणों के सूचनार्थ।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव।

07-08-2020